



.....नगर निगम/ नगर परिषद् /नगर पंचायत
लाभुक सहमति पत्र

लाभुक सहमति पत्र सं०.....

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री (लाभुक का नाम) पिता/पति श्री
(लाभुक के पिता/पति का नाम), मोहल्ला/स्लम..... वार्ड संख्या:..... थाना:.....
अंचल:..... नगर निकाय :..... जिला:..... का निवासी हूँ। स्थानीय नगर
निकाय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के **प्रथम घटक** अंतर्गत स्लम वासियों के पुनर्वास
हेतु निर्मित किए जाने वाले परियोजना के आवासों में से आवंटित किए जाने वाले आवास हेतु
लाभुक के लिए मेरा चयन किया गया है। मैं आज दिनांक :..... समय:.....
(पूर्वाहन/अपराहन) को इस सहमति पत्र के माध्यम से निम्नांकित वचन को सत्यापित
करता/करती हूँ:-

1. मैं उक्त निकाय अंतर्गत अवस्थित स्लम/मोहल्ला में रहता/रहती हूँ।
2. मैं उक्त निकाय/वार्ड में विगत वर्षों से वासित हूँ।
3. मैं कमजोर आय वर्ग का/की लाभुक हूँ। मेरा वार्षिक आय रु०..... लाख हैं।
4. मेरा या मेरे परिवार का पूरे भारत वर्ष मे कहीं भी पक्का मकान नहीं है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम घटक अंतर्गत आवास प्राप्त करने की सभी अहर्ता पूरी करता/करती हूँ।
5. मेरा लाभुक सं० :..... है।
6. मैं आवास आवंटित किए जाने हेतु निकाय द्वारा वांछित सभी दस्तावेज निकाय को उपलब्ध करूँगा/करूँगी।
7. मुझे वर्तमान में वासित स्लम से हट कर नए स्थान पर बनने वाले आवास में आवास प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं है।
8. मैं स्वेच्छा से निकाय द्वारा लौटरी के माध्यम से आवंटित आवास में रहने को राजी हूँ।
9. मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास में आवंटन से एक माह या निकाय द्वारा आवंटित समय सीमा के अंदर नए आवंटित आवास में चला/चली जाऊँगा/जाऊँगी। निश्चित समय सीमा के अंदर यदि मेरे द्वारा उक्त आवंटित आवास ग्रहण नहीं किया जाता है तो हमें आवंटित आवास निकाय द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगा/होगी।
10. मैं नए स्थान पर आवंटित आवास प्राप्त करने के पश्चात् तत्काल से वासित स्लम से हट जाऊँगा/जाऊँगी एवं उक्त स्लम भूमि पर हमारा किसी प्रकार का दावा या अधिकार नहीं रहेगा।
11. मैं योजना अंतर्गत आवंटित आवास को प्रथम 15 वर्षों तक न बेचूँगा/बेचूँगी, न किसी को लीज पर दूँगा/दूँगी और न ही किसी को किराए पर दूँगा/दूँगी।

12. यदि मुझे आवंटित आवास के बेचने/लीज पर देने/किराए पर देने/किसी अन्य को हस्तांतरित करने की सूचना निकाय को मिलती है तो वह इसकी जाँच कराते हुए सही पाए जाने पर हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं भविष्य में मैं इस प्रकार के किसी योजनान्तर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगा/रहूँगी।
13. मुझे आवंटित आवास पर मेरे बाद मेरे विधिक उत्तराधिकारी का अधिकार होगा।
14. मैं योजना अंतर्गत आवास प्राप्त करने हेतु लाभुक अंशदान रू० 1.50 लाख जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा की नियमानुसार निकाय में जमा कर दूँगा/दूँगी। ससमय लाभुक अंशदान नहीं जमा करने के विरुद्ध हमारा आवंटन रद्द कर मेरे द्वारा जमा की गई लाभुक अंशदान को जब्त कर लेगी एवं भविष्य में मैं इस प्रकार के किसी योजनान्तर्गत आवास प्राप्त करने के योग्य नहीं रहूँगा/रहूँगी।
15. मेरे द्वारा यदि Bank से Loan लेने की स्थिति में Bank Loan को ससमय जमा न करने की स्थिति में भी आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
16. मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी गलत/छुपाया गया पाया जाता है तो निकाय द्वारा लाभुक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा।

मैंने उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों को पढ़/सुन एवं समझ लिया है और सभी तथ्यों से सहमत हो कर सहमति पत्र पर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान लगा रहा/रही हूँ।

लाभुक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान
लाभुक का नाम: